

हिन्दुस्तान

आयकर में होम लोन के ब्याज पर 100 फीसदी तक छूट मिले



सुदृष्टान्त | अद्यतन करियाद

रियल एस्टेट से सुस्ती दूर करने के अब तक उठाए गए केंद्र सरकार के कदम नाकाफी साबित हुए हैं। अब एक फरवरी को पेश होने वाले बजट के मद्देनजर डेवलपर को संस्था क्रेडिट का कहना है कि इस क्षेत्र को इन्फो का दर्जा मिले, साथ ही होम लोन पर देय ब्याज पर 100% कटौती का लाभ दें, तभी असर दिखेगा।

अभी आयकर में छूट के लिए सेक्शन 24 के तहत 2 लाख, सेक्शन 80 सी के तहत 1.5 लाख और सेक्शन 80 ईई के तहत सिर्फ 50 हजार रुपये तक की सीमा है। इतना ही नहीं 2022 तक सभी को घर देने के लिए सरकार किरायाती आवास की परिभाषा बदले। गृहग्राम की बात करें तो यह रियल एस्टेट का बड़ा हवा है। वहां पर लान्गरी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है। विभिन्न रिपोर्ट में यह बात साफ हुई है तो वहीं अफोर्डेबल प्रॉपर्टी की मांग अधिक है लेकिन उपलब्धता कम है, कुछ ही बिल्डर हैं जो इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं।

सिंगल बिडो क्लीयरेंस का इंतजार हो : अंसल हाउसिंग के

निदेशक कुशाग्र अंसल के अनुसार आने वाले बजट से हम उम्मीद करते हैं कि सरकार सिंगल बिडो क्लीयरेंस लाकर उसमें सम्य निधारित करे तो वहीं एमआरजी वर्ल्ड के संयुक्त प्रबंध निदेशक रजत गोयल चाहते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में मदद के लिए कुछ और उपाय किए जाएं, जिससे डेवलपर अधिक से अधिक प्रोजेक्ट ला सके, जिससे लोग घर खरीद सकें।

रियलिटिक रिपोर्ट्स के चेयरमैन हरिंदर सिंह होरा चाहते हैं कि जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट की फिर से शुरुआत हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभ के साथ, संपत्ति की कीमतें निर्वन्ग में रहेंगी।



रियल एस्टेट में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए स्टॉप इण्टी में कटौती करें। वहीं सरकार की तरफ से 25000 हजार करोड़ के फंड एआईएफ के साथ-साथ अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए प्रोत्साहन प्लान भी लागू और बुनियादी ढांचे के लिए अधिक से अधिक बजट निर्धारित करें। - **कुशाग्र अंसल** प्रेसीडेंट, क्रेडिट इंडिया



किफायती आवास सेक्टर को इंग्रारुकर का दर्जा दिया गया है, लेकिन लागू नहीं किया गया है। उम्मीद है कि बुनियादी ढांचे में निवेश के बारे में पिछले साल जो घोषणाएँ की गई थीं, उसका इस बार क्रियान्वयन हो जाए। बजट में मुख्य शहरों में सस्ती जमीनपार भी ध्यान देना चाहिए। - **प्रदीप अमरवाल**, सरवाक, सिन्धु स्वीड



इंडस्ट्री स्टेटस' पुरानी मांग है, यह स्टेटस इस क्षेत्र को धन जुटाने में मदद करेगी। परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बहुत सारी मंजूरीयाँ लेनी पड़ती हैं जो विलंब का कारण बनती हैं। परियोजनाओं की समय-सीमा बढ़ने के पीछे भूमि अधिग्रहण की जटिल प्रक्रिया भी शामिल है। - **रवीश कपूर**, ब्रह्म निदेशक, एलन ग्रुप



हम उम्मीद करते हैं कि आम बज में इस साल सरकार सिंगल बिडो क्लीयरेंस क्रियाविधि की मांग को संबोधित करेगी। इससे सिस्टम को और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। इससे खरीदारों एवं निवेशकों दोनों के विश्वास और रियल एस्टेट क्षेत्र में विकास का सरला खुलेगा। - **संतोष अमवाल**, सीएफओ, अलका

ये भी हैं मांगें

- समय-सीमा बढ़ें : प्रॉपर्टी विशेषज्ञ प्रदीप मिश्रा के अनुसार इस समय फिजी भी व्यक्तिगत करदाता को होम लोन पर देय ब्याज पर डिडक्शन मिलता है। लेकिन यह लाभ तभी मिलता है, जब होम लोन एक अर्से 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच स्वीकृत हुआ हो और यह रकम 50 हजार रुपये से अधिक नहीं हो। इसलिए सरकार इस समयसीमा को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दे।
- किफायती आवास की परिभाषा बदले : अफोर्डेबल हाउस की परिभाषा बदलने की जरूरत है। इस समय देना में मेट्रो शहरों में 60 वर्ग मीटर के कार्पेट एरिया वाले मकानों को जबकि अन्य जगहों पर 90 वर्ग मीटर के कार्पेट एरिया के मकानों को अफोर्डेबल हाउस का दर्जा दिया है।